




ब्याह की रही उमर, आरान जिंदगी का रफ़र



पिछले अंक में हमने पढ़ा कि नाबालिंग निधि और नीता के बाल विवाह को माधव-मुस्कान ने कैसे रुकवाया। इस अंक में पढ़ेंगे कि मौसी ने रीता और मीता के व्याह किन परिस्थितियों में किए ? इससे उनके जीवन में कैसे-कैसे बदलाव आए ?

माधव-मुस्कान के घर उनकी मौसी अपनी बेटियों रीता और मीता के साथ आई हैं। बहुत सालों बाद उनसे मिलकर सभी बहुत खुश हैं। बैठकर सुख-दुःख की बातें हो रही हैं।





रिश्ता तो मीता के लिए भी आया था ?

हाँ, मैंने ही मना कर दिया।
अभी नहीं करनी शादी।
पहले पढ़ाई पूरी करूँगी।

शाबास दीदी, आपने बिल्कुल सही निर्णय लेने का साहस किया।

तुम्हारे मौसाजी ने भी कह दिया
— दूध का जला हूँ, छात भी
फूँक-फूँक कर पीयूँगा।

मीता की इच्छा देख
हमने इसे पढ़ने शहर
भेजा।

आज मैं गर्व से
कहती हूँ मैं
इंजीनियर हूँ।

मीता पढ़ी-लिखी
थी, रिश्ता भी
पढ़े-लिखे लड़के
का आया।


दोनों वयस्क थे। अपने
पाँवों पर खड़े थे। शादी
के बाद इनको मेरे जैसी
कोई दिक्कत नहीं आई।

हाँ, आज हम दोनों
नौकरी कर रहे हैं।
अपने सारे सपने
पूरे कर पा रहे हैं।


काश, दीता दीदी के साथ ऐसा
अन्याय न हुआ होता।

मुझे शिकायत है कि मेरी
शादी उस उम्र में हुई जब
मैं तन-मन से गृहस्थी और
मातृत्व का बोझ उठाने
लायक ही नहीं थी।

हमें अपनी गलती पर
बहुत पछतावा है।




पढ़ी गई कहानी के अनुसार, हम कृष्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे:




बाल विवाह का दुष्प्रियणाम

बाल विवाह के शारीरिक, मानसिक
और आर्थिक दुष्प्रियणाम क्या होते हैं ?



आमाजिक मान्यताएँ

बाल विवाह करने के पीछे सामाजिक
मान्यताएँ क्या हैं ?



महिला शक्तिकरण

मीता ने शादी के लिए
मना क्यों किया ?




भविष्य की योजना

पढ़-लिखकर मीता ने अपना
करियर कैसे बनाया ?



बाल विवाह निवोधक गतिविधि

सर्वशिक्षा अभियान और ओपन
स्कूल से शिक्षा जारी रखने में
मदद कैसे मिल सकती है ?



बाल विवाह निवोधक गतिविधि

बाल विवाह रोकने में आप
किन-किन की मदद ले
सकते हैं ?

याद रखने वाले मुख्य संदेश

बाल

विवाह



शारीरिक, मानसिक

और आर्थिक
दुष्परिणाम

❖ शारीरिक दुष्परिणाम

कम उम्र में गर्भाधान के मामलों में वृद्धि, इस स्थिति में एनिमिया होने की प्रबल संभावना।
समय से पहले प्रसव की अधिक घटनाएँ।
माताओं की मृत्यु दर में वृद्धि।
गर्भपात और मृत प्रसव की ऊँची दर।
शिशु मृत्यु दर और अस्वस्थता दर में वृद्धि।

❖ मानसिक और सामाजिक दुष्परिणाम

घरेलू हिंसा और लिंग आधारित हिंसा (कम उम्र की लड़कियाँ, जिनके पास रुतबा, शक्ति एवं परिपक्वता नहीं होते, अक्सर घरेलू हिंसा, सेक्स सम्बन्धी ज्यादतियों एवं सामाजिक बहिष्कार का शिकार होती हैं।)
बच्चों के अवैध व्यापार और लड़कियों की बिक्री में वृद्धि
बच्चों द्वारा पढ़ाई छोड़ने की घटनाओं में वृद्धि
बाल मजदूरी और कामकाजी बच्चों का शोषण
लड़कियों पर समय से पहले घरेलू कामकाज की जिम्मेदारी।

❖ आर्थिक दुष्परिणाम

कम उम्र में विवाह लगभग हमेशा शिक्षा या अर्थपूर्ण कार्यों से वंचित करता है जो उनकी निरन्तर गरीबी का कारण बनता है।

झाझा छिकू आव्याताएँ



❖ बाल विवाह करने के पीछे सामाजिक मान्यताएँ क्या हैं ?

सामाजिक प्रथाएँ एवं परम्पराएँ – बाल विवाह एक प्रथा है।
लड़कियाँ बोझ मानी जाती हैं।
लड़कियों की शिक्षा का निचला स्तर।
लड़कियों को कम रुतबा दिया जाना।
उन्हें आर्थिक बोझ समझना।
कम उम्र में विवाह करने में दहेज कम देना पड़ता है।

❖ ओपन स्कूल म-प्र- राज्य मुक्त स्कूल

म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा शिक्षा की वैकल्पिक व्यवस्था अत्यधिक लचीली मुक्त शिक्षा के माध्यम से की जाती है यह छात्रों को कक्षा 10वीं तथा 12वीं की इस लचीली शिक्षा के माध्यम से शिक्षित होने के कई अवसर लगातार उपलब्ध कराए जाते हैं यह प्रदेश के सभी जिलों में स्थापित अध्ययन केन्द्रों के माध्यम से ऑनलाइन प्रवेश की सुविधा प्रदान की जाती है यह म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद की योजनाओं में परीक्षार्थियों को परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु लगातार 9 अवसर प्रदान किए जाते हैं यह छात्र के उत्तीर्ण विषयों का संकलन तब तक किया जाता है यह जब तक कि वह पूरे 5 विषयों को परीक्षा पास नहीं कर लेता छात्र को 5 विषयों की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अंकसूची तथा प्रमाणपत्र दिए जाते हैं।



भूमिकाएं और जिम्मेदारियां

- ❖ आशा की सहायता से गांव में 10 से 19 वर्ष की आयु के सभी किशोर/किशोरियों की सूची तैयार करना।
- ❖ स्वास्थ्य एवं संरक्षण के मुद्रणों के संबंध में मिथकों और भ्रांतियों को दूर करने में किशोर/किशोरियों की सहायता करना।
- ❖ आशा/ए.एन.एम. की सहायता से आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सीय व सुरक्षा संबंधी जरूरत में दूसरी जगह रेफर करवाना।
- ❖ किशोर/किशोरियों की बातों की हमेशा गोपनीयता बनाए रखना।
- ❖ बच्चों और किशोर/किशोरी पर हिंसा के मामलों को पुलिस या बाल संरक्षण अधिकारी को सूचित करना।
- ❖ हिंसा के शिकार व्यक्ति की चिकित्सा देखभाल एवं परामर्श लेने और कानूनी सहायता हासिल करने में सहायता करना।
- ❖ धर्म, जाति, वर्ग, जेंडर या वैवाहिक स्थिति पर विचार किए बिना सभी किशोर/किशोरियों तक पहुंचना।

